प्रतिभा जागृति
सुरक्षा • संस्कार • समृद्धि

श्री दिगंबर जैन सर्वोपयोगी धार्मिक न्यास द्वारा संचालित
प्रतिभा जागृति जैन गर्ल्स हॉस्टल
तिलक रोड, सदाशिव पेठ, पुणे ४११०३०.

छात्रावास के नियम एवं प्रावधान: २०२५-२६

इस छात्रावास के सञ्चालन का उद्देश्य व्यावसायिक न होकर संत शिरोमणि आचार्य श्री १०८ विद्यासागरजी महामुनिराज की दूरदृष्टिता से एक ऐसा उपक्रम जिसके अंतर्गत महाराष्ट्र की सांस्कृतिक राजधानी पुणे में अध्ययनरत बेटियों के लिए जैनत्व के संस्कारों के साथ सुरक्षा पूर्ण आवासीय सुविधा उपलब्ध कराना है। अतः सभी छात्राओं से यह अपेक्षा है कि सभी नियमों का पालन करते हुए उनके आदर्शों भारत की संस्कृति - सभ्यता - विरासत को वापिस लाना है - के क्रियान्वयन में सहयोग प्रदान करते हुए सभी धार्मिक / सांस्कृतिक कार्यक्रमों में उत्साहपूर्वक भाग लेने के अलावा ऐसे सभी कार्यक्रमों का आयोजन करना।

छात्रावास में रहने वाले सभी विद्यार्थिनियों को छात्रावास के निम्नलिखित नियमों का पालन करना अनिवार्य रहेगा।

छात्रावास में नियम :

१) छात्रावास का प्रबंधन वार्डन (प्रबंधक) एवं सहायक वार्डन (सह-प्रबंधक) द्वारा किया जाता है।

२) छात्रावास के नियमों/निर्देशों का उल्लघंन करने पर या किसी दुसरे की मदत करने पर एवं छात्रावास में दुर्व्यवहार करने पर उस छात्रा को तीन चेतावणी दि जाएगी। (१) येलो चेतावनी (वार्डनद्वारा) (२) ऑरेंज चेतावनी (कार्यकारिणी कमिटी द्वारा) (३) रेड चेतावनी (मुख्य कमिटी द्वारा) दिया जाएगा। रेड चेतावणी के बाद उस छात्रा को छात्रावास से निष्कासित किया जाएगा एवं उसके द्वारा जमा कि गई फ़ीस राशी वापस नहीं कि जाएगी।

३) छात्राओं को यह सुझाव दिया जाता है कि वे हॉस्टल मैं कोई भी किमती वस्तुएँ नही रखे। कुछ खोने पर न्यास की जिम्मेदारी नही रहेगी।

४) छात्रावास में हेयर ड्रायर, हिटींग पॅड, चिकित्सकीय संसाधन के आलावा किसी भी अन्य हीटिंग उपकरण का उपयोग करने की अनुमति नहीं है। यदि कोई भी बिना अनुमति वाले विद्युत उपकरण का उपयोग करते हुए पाया गया, तो उसे तुरंत जप्त कर लिया जाएगा। और उपयोग करने वाले और उसके मालिक, प्रत्येक से रुपये १०००.०० (एक हजार रुपये) सिर्फ़ मात्र जुर्माना वसूला जाएगा।

५) साल में दो बार (१) दिगंबर जैन तीर्थक्षेत्र दर्शन यात्रा एवम(२) दिगंबर गुरुदर्शन यात्रा होगी, इस दोनों यात्रा में छात्राओं को कम से कम एक यात्रा पर जाना अनिवार्य रहेगा।

६) बिना पूर्व अनुमति के बाहर से म्युजिक प्लेयर जैसी मूल्यवान चीजे एवं कोई भी फ़र्नीचर या अन्य बडा सामान या उपकरण लाना मना है।

७) कमरे में किसी भी तरह का भोजन, नाश्ता बनाने की अनुमति नहीं है।

८) छात्रावास स्टाफ़ की सेवा का उपयोग निजी या व्यक्तीगत कार्य के लिए नहीं किया जाएगा। छात्रावास के कर्मचारियों को नगद या वस्तु के रुप में कोई राशि/सामान नहीं दिया जाए।

९) किसी भी छात्रा को रात्रि १० बजे से प्रात: ६:०० बजे (प्रात: सुर्योदय के पहले) छात्रावास से बाहर जाने की अनुमति नहीं है। यदि कोई आपातकालीन स्थिति हो तो छात्रा को निर्धारित प्रारुप (फ़ॉर्म) में योग्य जानकारी देकर वार्डन की अनुमति लेनी होगी।

१०) कमरे एवं आलमारी की चाबियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी प्रत्येक छात्रा की रहेगी। खो जाने पर रु.५००.०० (पांच सो) के दंड का भुगतान करना होगा। दुसरी चाबी बनाने का खर्चा अलग से छात्रा को ही देना होगा।

११) छात्रावास में कपडे धोने की मशीन की व्यवस्था है, लेकिन उसके उपयोग एवं रख-रखाव के नियम समय समय पर निश्चित किये जायेंगे, एवं सभी के लिए बाध्य होंगे।

१२) छात्रावास की बैठकों, गतिविधियों एवं अन्य कार्यक्रमों में प्रत्येक छात्रा की उपस्थिती अनिवार्य रहेगी।

१३) छात्रा की किसी भी समस्या के संबंध में सभी संचार (कम्युनिकेशन) वार्डन के माध्यम से ही किया जाएगा।

१४) छात्राओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि छात्रावास की सुविधाओं का किसी अन्य छात्रा / गैर छात्राओं द्वारा दुरुपयोग नहीं किया जाए।

१५) किसी भी परिस्थिती में कोई भी छात्र के माता-पिता/स्थानिक अभिभावक या किसी भी व्यक्ति/महिला को छात्रावास में रहने की अनुमति नहीं दी जाएगी। और उनके सामान रखने की भी अनुमती नही रहेगी।

१६) सम्पूर्ण परिसर में शराब(मदिरा), मांस, अंडे एवं अन्य मादक/अभिक्ष्य पदार्थों जैसे गुटका, तम्बाखू आदि का सेवन करने एवं धुम्रपान करने की पूर्णतया निषेध है। इस नियम का उल्लंघन करने पर छात्रावास से तुरंत निष्काषित किया जाएगा। और जमा की गई फ़िस राशी वापस नहीं की जाएगी।

१७) सभी प्रकार की रैगिंग, शारीरिक या मौखिक हमलों का सख्त निषेध है और पाए जाने पर छात्रावास से निष्काषित किया जाएगा।

अनुशासन :

१) तेज संगीत बजाने की अनुमति नहीं है। छात्राओं को शांतता रखनी चाहिए और छात्रावास में दुसरों को परेशान नहीं करना चाहिए।

२) कमरे की साफ़-सफ़ाई और बिस्तर की साफ़-सफ़ाई सभी छात्राओं का व्यक्तिगत कर्तव्य है। अत: यह अपेक्षित है कि सभी बिस्तर प्रात: ९ बजे तक ढंग से लगाए जाएँ। कमरे की जांच नियमित रुप से की जाएगी। कमरे को साफ़-सुथरा रखने में लगातार लापरवाही बरतने पर प्रशासन द्वारा अनुशासनात्मक कारवाई की जाएगी।

३) छात्राओं को शौचालयों का उचित उपयोग करना चाहिए। सैनिटरी पैड, साबुन/शैम्पू कवर, बाल, हेयर पिन इत्यादि के उचित निपटान के लिए कूडेदान का उपयोग करें।

४) छात्राओं को अनावश्यक रुप से अन्य छात्राओं के कमरे में प्रवेश नहीं करना चाहिए और छात्राओं की गोपनीयता का सम्मान करना चाहिए।

५) प्रत्येक छात्रा को हर दिन रात्रि ९ से ९:४५ के बिच में अपनी उपस्थिती (प्रेसेंटी) वार्डन के पास जाकर दर्ज करनी होगी।

६) प्रबंधन (वार्डन) को बिना किसी पूर्व सूचना के किसी भी कमरे में प्रवेश करने, निरिक्षण करने एवं योग्य निर्देश देने का अधिकार है।

७) संस्कारों के महत्व को समझते हुए एवं धार्मिक वातावरण निर्माण करने के लिए प्रत्येक छात्रा को प्रत्येक दिन सायंकालीन आरती (रात्रि ८:३० से ९:००) में उपस्थित रहना अनिर्वाय है। इसीक्रम में हर रविवार प्रात : ८:१५ बजे से जिनेंद्र प्रभू एवम आचार्यश्री जी की पूजन के लिए हर छात्रा को उपस्थित होना अनिर्वाय रहेगा।

८) किसी भी तरह का कोई भी सामूहिक कार्यक्रम करने के लिए वार्डन की पूर्व अनुमति आवश्यक है।

९) कोई भी छात्रा परिसर में अन्य लोगों का सामान चुराती या छात्रावास की संपत्ति को नुकसान पहुंचाती पाई गई, जैसे पोस्टर चिपकाना, कीलें लगाना, पानी और बिजली बर्बाद करना आदि परिस्थितियों में उस पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

प्रबंधकों (न्यास) का उत्तरदायित्व :

१) हॉस्टल के बाहर छात्राओं की जिम्मेदारी न्यास की नही होगी।

२) आवश्यकता के अनुसार बिना पूर्व सूचना के आवास एवं भोजन शुल्क में बदलाव के आलावा अन्य सुविधाओं के नियमों में बदलाव/सुधार करने के लिए न्यास को पूर्ण अधिकार रहेंगे।

३) ऐसे सभी बदलाव/सुधार की जानकारी छात्रावास के सूचना पट्ट पर लगा दी जाएगी और व्हॉट्सअप ग्रुप पर भी भेजी जाएगी। तदनुसार यह मान लिया जायेगा कि सभी छात्राओं ने इसे पढ लिया है, एवं सभी इससे सहमत हैं।

४) न्यास किसी भी तरह से छात्राओं के प्रदर्शन (Result) एवं आचरण के लिए जिम्मेदार नहीं रहेगा।

५) न्यास किसी भी छात्रा के कृत्य, दुर्घटना या चोट के लिए जिम्मेदार नहीं रहेगा।

६) किसी भी अनुशासन हीनता के सम्बन्ध में न्यास आतंरिक जाँच कर दोषी पाए जाने वाली छात्रा को छात्रावास से निष्कासित किया जाएगा।

७) छात्रावास संचालन से सम्बंधित सभी विषयों पर न्यास का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

भोजन व्यवस्था

समय =	**स्वल्पआहार**	:	**प्रातः ००.७ से प्रात: ०८.४५ तक**
	सुबह का भोजन	:	**११ से :०१.४५ तक**
	शाम का भोजन	:	**५.३० से : ०७.४५ तक**

१) भोजन शाला में शुद्ध सात्विक शाकाहारी भोजन ही दिया जायगा एवं जमीकंद का भी उपयोग नहीं किया जायेगा।

२) भोजन शाला में निर्धारित समय पर ही भोजन दिया जायगा। अतः यह अपेक्षा है कि सभी छात्राएं समय का पालन करेंगी।

३) छात्रावास में भोजन की उचित व्यवस्था उपलब्ध होने की स्थिति में भोजन सिर्फ भोजन कक्ष (डाइनिंग हाल) में करना अनिवार्य है।

४) सूखा मेवा (Dry Fruits), फल, मिठाई आदि का सेवन कमरों में किया जा सकेगा, लेकिन उसके लिए साफ-सफाई की जिम्मेदारी छात्रा की रहेगी। कमरे की अन्य छात्रा से शिकायत मिलने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकेगी।

५) भोजन कक्ष से भोजन छात्रावास के कमरे में ले जाना सख्त वर्जित है। हालंकि, विषेश परिस्थिती में डॉक्टर / वार्डन की अनुमती से कमरे में बीमार आहार परोसा जा सकता है।

६) भोजनशाला हर रविवार शाम को बंद रहेगा।

व्यक्तिगत नियम :

१) छात्राओं के VIP पिरियड में चार दिन भोजन एवम पिने के पानी को छूना नही है। दुसरे छात्राओं से या किचन कर्मचारियोंसे/वार्डन दीदी से अपने खाने की थाली लगवाए और पीने की बॉटल भरवाएं।

२) कपडे प्रेस (Iron) करने के लिए हर मंजिल पर सार्वजनिक रुप से व्यवस्था कि गई है। कमरे में प्रेस (Iron) करना सख्त मना है, ऐसे करने पर ५००/- दंड वसूला जाएगा।

३) नाईट आऊट/ लंबी छुट्टी के लिए वार्डन के पास लिखित पत्र देना होगा। इसके अलावा, छात्रा के घर से माता या पिता का जो मोबाईल नंबर छात्रावास में रजिस्टर हैं उसी नंबर से वार्डन के मोबाईल पे फ़ोन और व्हाट्सऍप मेसेज आना अनिवार्य है।

४) नाईट आऊट/ लंबी छुट्टी के लिए तीन घंटे पहले ही लिखित पत्र और माता/पिता के रजिस्टर नंबर से फ़ोन और मेसेज करवाना होगा, वार्डन को फ़ोन-मेसेज करवाने का समय प्रात : ८ से रात १० बजे तक का ही रहेगा।

५) अतिथि रात्रि ८.०० बजे तक छात्रावास के स्वागत कक्ष में छात्रा से मिल सकते हैं।

६) कोई भी छात्रा बिना अनुमति के किसी भी अतिथि को छात्रावास में आमंत्रित नहीं करेगी या रहने की अनुमति नहीं देगी।

७) किसी भी पुरुष व्यक्ति (यहाँ तक कि पिता) को भी छात्रावास के अंदर जाने की अनुमति नही होगी।

८) छात्राओं से अपेक्षा की जाती हैं कि वे अपने पहनावे में सावधानी बरतें एवं शालीनता का ध्यान रखें। अतिवादी, अशोभनीय और खर्चीले परिधानों से बचना चाहिए।

९) स्पेगेटी पट्टियाँ, छोटी स्कर्ट और टैंक टॉप पहनना जो दिखावटी हों, छात्रावास से पहनकर बाहर जाने की अनुमती नही है।

१०) बीमारी के किसी भी मामले की सूचना तुरंत वार्डन को दी जानी चाहिए और उसकी तुरंत जांच की जानी चाहिए। यदि अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता हो तो छात्रा को अपने स्थानीय अभिभावकोंसे संपर्क करके उचित व्यवस्था करनी होगी। न्यास उपचार और परिवहन के व्यव के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

११) अपने स्वयं के वाहन उपयोग करने वाले छात्राओं के पास वैध ड्रायविंग लाइसेंस, बिमा पालिसी, एवं वाहन की पंजीकरण (RCTC) के डाक्युमेंट्स होने जरुरी हैं एवं छात्रावास में प्रवेश के समय इन सब डाक्युमेंट्स की एक प्रती छात्रावास के कार्यालय में जमा करनी होगी। उन्हें अपने वाहन को उचित तरीके से अपनी जोखिम पर पार्किंग क्षेत्र में पार्क करना होगा। इन वाहनों की सुरक्षा के लिए न्यास जबाबदार नहीं रहेगा।

१२) छात्राओं को अपने वाहन का उपयोग अन्य छात्राओं को जिनके पास वैध ड्रायविंग लाएसेंस नहीं हैं, उन्हें नही देने की सलाह दी जाती हैं।

१३) प्रत्येक छात्रा से अपेक्षा की जाती है कि वह स्वेच्छा से और पूरे मन से छात्रावास की गतिविधियों के संचलन और रखरखाव में भाग ले।

शुल्क (फ़ीस) की वापसी :-

१) एक बार भुगतान की गई फ़ीस वापिस नहीं की जाएगी।

२) जो छात्र महाविद्यालय में प्रवेश सुरक्षित नही कर पाए, ओ १५ अगस्त २०२५ तक सूचित करने पर उस छात्रा को २ महिनों की फ़ीस काटकर ९ महिने कि फ़िस वापिस किया जाएगा। इसके पश्चात कोई भी फ़िस वापिस नही किया जाएगा।

नियमों में संशोधनः

आवश्यकता पडने पर नियमों में संशोधन का पूर्ण अधिकार श्री दिगंबर जैन सर्वोपयोगी धार्मिक न्यास, पुणे को रहेगा एवं इसकी सूचना सभी छात्राओं को समय-समय पर दी जाएगी।

छात्र व माता/पिता का घोषणा पत्र

मैंने निम्नलिखित समस्त नियमों मे और उपनियमों को सावधानी पूर्वक पढ़कर समझ लिया है, मैं उपयुक्त समस्त नियमों और उपनियमों का पूर्ण पालन करने का वचन देती हूं, मैं यह जानती हूं कि उपयुक्त में से किसी भी नियम का उल्लंघन करने पर मेरे निलंबन अथवा निष्कासन की अनुशासनात्मक कारवाई छात्रावास/न्यास कमिटी द्वारा की जाएगी.

छात्र का नाम : ---------------------------------

छात्रा के हस्ताक्षर : -----------------------------

मैंने तथा मेरे पुत्री ने निम्नलिखित समस्त नियमों और उपनियमों को सावधानी पूर्वक पढकर समझ ली है। मैं यह जानता/जानती हूं कि उपरोक्त में से किसी भी नियम का उल्लंघन करने पर मेरे पुत्री के निलंबन अथवा निष्कासन की अनुशासनात्मक कारवाई छात्रावास/न्यास कमिटी द्वारा की जाएगी और जमा की गई फ़िस राशि वापस नहीं की जाएगी।

माता/पिता का नाम :-----------------------------

माता/पिता के हस्ताक्षर : --------------------------